संख्या- 3 /2017/1573/सत्तर-4-2016-6(4)2010

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 458 /रा0उ0शि0प0/20
दिनांक 11.01.2017

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
लखनऊ उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊः दिनांक 6 जनवरी ~~दिसम्बर~~, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ को गैर वेतन मद की देय धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्रांक-175/एनएलयू/लेखा/बजट/2016-17 दिनांक 23.11.2016 के संदर्भ तथा शासनादेश संख्या-465/सत्तर-4-2016-6(4)/2010 , दिनांक 19.05.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 7,00,00,000/- (रूपये सात करोड़ मात्र) के सापेक्ष अन्तिम 06 माह के व्यय को वहन किये जाने हेतु अवशेष 50 प्रतिशत द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 3,50,00,000/- (रूपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस अनुदान के बिल पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

4- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागर से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

5- इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियाँ व्यय हेतु अनुमन्य होगी, जो शासनादेश संख्या-1075/70-4-99/46(21)/99 दिनांक 29 अप्रैल, 2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गई है। इसका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

संजय
11/01/17

2/-
कृ0प0उ0

6- इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

7- इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94, दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्ते लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

8- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-46-डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ -20- सहायता अनुदान - सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0 –ई-11-1810/दस-2016, दिनांक 22 दिसम्बर 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता)
विशेष सचिव

संख्या- 3 /2016/1573/सत्तर-4-2016, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार को (सूचना आडिट), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा , उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
7. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा अनुभाग-7 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
उप सचिव